क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6.2.20	[illegible] तेरा हाजी P.O. सा. दौरे पर गये हुए हैं। अतः [illegible] दिनांक 7.2.20 को पेश हो।
	7.2.20	पत्रावली देखा हुई। वादिनी व वकील वादिनी उपस्थित। वादिनी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद विड्रा करने की अनुमति चाही। वादिनी को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए सहस्तगत वाद विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थनापत्र प्रार्थीनी/वादिनी स्वीकार किया जाता है। वाद वादिनी विड्रा किए जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मोहराबन्द न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नस्ती कम होकर दाखिल दफ्तर है।

Identified by Afzal Ali Adv

सहायक कलक्टर
साँभर लेक